[न्]यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

[वा]द–पत्र:–15 / 2018

दायर दिनांक: 20.02.2018

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. रामदयाल आत्मज रघुनाथ जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. मदन आत्मज प्रभु जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. रमेश आत्मज नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. उंकारी बेवा नारायण जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. रामनिवास आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. छोटू आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. सोराज आत्मज गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. कैलाश पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. नरेन्द्र आत्मज जगदीश जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. घनश्याम आत्मज रामधन जाति धाकड निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. बाबू आत्मज बद्रीलाल जाति मीना निवासी ग्राम समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉ जिला बून्दी द्वारा शाखा प्रबन्धक महोदय।
11. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी द्वारा श्रीयुत शाखा प्रबन्धक महोदय।
12. भूमिधारी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 188, 92 "क" आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सत्यनारायण लवानियां एडवोकेट।
2. अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री संजय कुमार लवानियां।

निर्णय दिनांक 06.11.2020

संक्षेप में वाद–पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी पटवार मण्ड़ल समीधी तहसील नैंनवां में जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 485 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 636 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 913 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 968 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1024 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1025 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1024 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1025 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1026 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1048 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1051 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1052 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1829 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 31 बीघा ... स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ... 7 के संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि है। इस भूमि का ... नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 रमेश का वादपत्र की वर्णित कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा था जिसमें से ... 1/16

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:01:01 IST
Reason: SelfAttested

E/Feshla 2019

Scanned with CamScanner

हिस्सा पूर्व में ही प्रतिवादी संख्या 7 नरेन्द्र को विकय कर दिया है और नरेन्द्र का नाम जमाबन्दी में 1/16 हिस्से के सहखातेदार आसामी के रूप में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने बचे हुए 1/16 हिस्से में से 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 घनश्याम व 1/32 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 बाबू को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.12.2017 को विकय कर दिया हैं इस प्रकार वाद पत्र के वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा शेष नही रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 कों वादपत्र की वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी विशेष भाग को बिना अन्य सहखातेदारों की सहमति के प्रतिवादी गण संख्या 8 व 9 को विकय करने का अधिकार नही है प्रतिवादी संख्या 1 ने वर्णित समस्त भूमि को ग्राम समीधी से इन्द्रगढ उनियारा रोड पर स्थित होना विकय पत्रो में लिखा है जो सर्वथा गलत है। सम्पूर्ण भूमि ग्राम समीधी से इन्द्रगढ उनियारा रोड पर स्थित नही है। इस रोड कें पास केवल भूमि ख0 सं0 968 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा है। प्रतिवादी संख्या 1 का इस भूमि पर कभी कब्जा भी नही था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना कब्जा नही होते हुए बेचान पत्रो में बेचान की गई भूमियों की चतुर्सीमा लिख कर विशेंष भाग का बेचान करना व कब्जा संभलाना लिखा है। इसलिए उसके द्वारा किये गऐ बेचान पूर्णतय अवैध व प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है। जो चतुर्सीमा लिखी है वह ख0 सं0 968 के चारो तरफ की है। जिस पर केवल वादीगण का ही कब्जा है।

प्रतिवादी गण संख्या 8 व 9 अजनबी केता है उनको नियमानुसार विभाजन करवाये बिना वाद पत्र की वर्णित कृषि भूमियों के किसी भी विशेष भाग पर कब्जा करने को कोई अधिकार नही है परन्तु वे अवैध व अनाधिकृत रूप सें अवैध बेचान पत्रों की आड में अपने नाम नामान्तरण खुलवा कर वर्णित कृषि भूमि ख0 सं0 968 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा पर से वादीगण को जबरन बेदखल कर स्चयं कब्जा करना चाहते है और प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा करवाना चाहता है। दिनांक 14.02.2018 को प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 हथियारो से लैस होकर उक्त भूमि पर आ गऐ और वादीगण को धमकी दी कि हम इन दोनो ख0 सं0 की भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे और नीव खोदकर निर्माण कार्य करेंगे यह वाद का कारण है।

वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाये कि वे नियमानुसार विभाजन करवाये बिना वर्णित कृषि भूमि में से ख0 सं0 968 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा अथवा अन्य भूमियों के किसी भाग पर कब्जा नही करे वादीगण के कब्जे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही ऐसा किसी अन्य से करवाये।

प्रतिवादी संख्या 12 को इस आशय की स्थाही निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाये कि वे प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के पक्ष में अवैध व प्रभाव शून्य बेचानो के आधार पर नामान्तरण खोल कर तस्दीक नही करे और उनकें नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नही करे।

अपने वाद–पत्र के समर्थन में वादीगण ने शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1, नकल–नक्शा ट्रेश प्रदर्श 2, कृषि भूमि विक्रय–पत्र प्रदर्श 3 एवं 4, कार्यालय ग्राम पंचायत समीधी का प्रमाण–पत्र पेश किये है। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में RRD 1989 Page 794, RRD 1999 Page 3, RRD 1987 Page 390 एवं RRD 1977 Page 470 पेश किये है।

प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 7 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद मुताबिक याचना डिक्री फरमाये जाने में कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब वाद–पत्र आदि का अवलोकन किया। वाद–पत्र पर बहस सुनी गई। न्यायालय वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। अतः ग्राम समीधी पटवार मण्ड़ल समीधी तहसील नैंनवां में जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 485 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 636 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 913 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 968 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 1024 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1025 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:01:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1024 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 1025 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा संख्या 1026 रकबा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 1048 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1051 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1052 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1829 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 10 कुल रकबा 31 बीघा 4 बिस्वा भूमियों के किसी भी भाग पर से नियमानुसार विभाजन करवाये बिना वादीगण को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा नही करे, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही ऐसा किसी अन्य से करवाये, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 घनश्याम, प्रतिवादी संख्या 9 बाबू एवं प्रतिवादी संख्या 12 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवां को पाबन्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 8 घनश्याम एवं प्रतिवादी संख्या 9 बाबू को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों दिनांक 18.12.2017 के आधार पर अपने नाम नामान्तरण नहीं खुलवाये एवं प्रतिवादी संख्या 12 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब नैनवा को पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 8 घनश्याम, प्रतिवादी संख्या 9 बाबू के पक्ष में विक्रय–पत्रों 18.12.2017 के आधार पर नामान्तरण खोलकर तस्दीक नही करे और उनकें नाम का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में नही करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 13:01:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner